



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2125]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 7, 2018/ज्येष्ठ 17, 1940

No. 2125]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 7, 2018/JYAISTHA 17, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2018

का. आ. 2343(अ).—यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिल नाडु लिमिटेड ने तमिल नाडु राज्य में सिपकॉट इण्डस्ट्रियल एरिया, श्रीपेरुम्बदूर में व्यापार एवं सम्भार तंत्र कार्यकलापों सहित इलैक्ट्रानिक्स / दूरसंचार हार्डवेयर एवं सहायक सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित एवं अनधिसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	अनधिसूचित क्षेत्र हेक्टेयर में	कुल योग हेक्टेयर में
(i)	का.आ. 2141(अ)	22.12.2006	189.771	-	189.771
(ii)	का.आ. 1308(अ)	31.07.2007	41.369	-	231.14
(iii)	का.आ. 677(अ)	02.03.2015	-	11.832	219.308
(iv)	का.आ. 1219(अ)	17.03.2016	-	23.75	195.558

और यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिल नाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र से 16.336 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः तमिल नाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 1873/एमआईई.2/2017-3 दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 16.336 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 16.336 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 179.222 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	शिरुमंगाडु	3 पार्ट	0.124
2.		4 पार्ट	0.063
3.		5 पार्ट	4.148
4.		6 पार्ट	1.862
5.		7 पार्ट	1.192
6.		135 पार्ट	0.318
7.	थिरुमंगलम	328 पार्ट	1.531
8.		333	0.280
9.		332 पार्ट	0.344
10.		334 पार्ट	2.875
11.		337 पार्ट	2.072
12.		336 पार्ट	0.299
13.		338 पार्ट	1.228
	कुल		16.336
	उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल क्षेत्रफल		179.222

[फा. सं. एफ. 2 / 146 / 2006—एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2018

S.O. 2343(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Electronics/Telecom Hardware and support services including trading and logistics activities at SIPCOT Industrial Area, Sriperumbudur in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified and de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below:—

S.No.	Notification No.	Date	Notified Area in Hectares	De-notified area in hectares	Total Area in Hectares
(i)	S.O. 2141 (E)	22.12.2006	189.771	-	189.771
(ii)	S.O. 1308 (E)	31.07.2007	41.369	-	231.14
(iii)	S.O. 677(E)	02.03.2015	-	11.832	219.308
(iv)	S.O. 1219(E)	17.03.2016	-	23.75	195.558

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 16.336 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 1873/MIE.2/2017-3 dated 07.11.2017;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 16.336 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby **de-notifies an area of 16.336 hectares**, thereby making resultant area as **179.222 hectares**, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1.	Sirumangadu	3pt	0.124
2.		4pt	0.063
3.		5pt	4.148
4.		6pt	1.862
5.		7pt	1.192
6.		135pt	0.318
7.	Thirumangalam	328pt	1.531
8.		333	0.280
9.		332pt	0.344
10.		334pt	2.875
11.		337pt	2.072
12.		336pt	0.299
13.		338pt	1.228
	Total		16.336
	Grand total area of SEZ after above deletion		179.222

[F. No. F.2/146/2006-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.